

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प 15(12)ज0स0/2016पट

जयपुर दिनांक 29.8.16

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जयपुर।

विषय- राजस्थान लोक सेवा आयोग से जल संसाधन विभाग के लिए
चयनित सहायक नाओं (सिविल/यांत्रिक) को उनकी
पूर्ववर्ती राजकीय से अभि दिये जाने हेतु निर्णय प्रस्ताव।
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 563/सहा/राज/जन/262 दिनांक
12.08.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं का संसाधन
अभियंता की सीधी भर्ती के लिए खासास्कार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देते समय उद्योग के
उपरोक्त त्याग पत्र दिये जाने की शर्त अंकित करने का कारण था कि संसाधन में सभी
कनिष्ठ अभियंता परीक्षाकाल में थे। राजस्थान सेवा नियमों के नियम-26 में स्पष्ट
प्रावधान किया हुआ है कि राज्य कर्मचारी सेवा में सेवा, संदर्भ या विभाग से दूसरा सेवा,
सर्चर्ग या विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्त हो जाता है तो उसका प्रारम्भिक पद स्थिर
किया जायेगा। यह तभी समभव है जबकि दूसरे पद पर नियुक्ति के उपरोक्त विभाग पद से
कार्यमुक्त किया जाये। पद से त्याग पत्र दिये जाने पर वेतन स्थिर नहीं किया जा
सकता।

इसी नियम के अन्वय में उल्लेख किया गया है कि यदि परिस्थितीय कारणों के
रूप में/परीक्षा पर तैयार कोई सरकारी कर्मचारी पद की निर्धारित परीक्षा अवधि
संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये बिना किसी दूसरे (सर) पद पर नियुक्त हो जाता है तो
पूर्व पद पर की गई सेवा को नवीन पद के सेवा में गिना जायेगा अर्थात् उस पद के
पद की सेवा अवधि का कोई लाभ नवीन पद पर प्राप्त नहीं होगा।

उक्त नियम में दिये गये प्रावधान का तात्पर्य यही होगा कि जिन अभियंताओं ने
कनिष्ठ अभियंता पद पर परीक्षाकाल पूर्ण नहीं किया है तथा उच्च पद पर नियुक्ति की
गई है तो उच्च पद पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा, जिन
अभियंताओं ने दो वर्षों का परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, उनको नव नियुक्त
पद पर कार्यग्रहण के लिए वर्तमान पद से संघटित करना होगा। अतः इन कारणों से
राजस्थान सेवा नियमों के नियम-26 को अनुसंधान किया जायेगा।

भवदीय

(सिकंदर आशा)
शासन उप सचिव

DS & TA

38
29/8/16

EE(1)
14/8/16